



प्रेसनोट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 23.02.2026



थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्र०नि० थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.02.2026 को थाना रोजा पुलिस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था व रोकथाम जुर्मजरायम में भ्रमणशील थी तभी मुखबिर खास की सूचना पर थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत अटसलिया पुल के नीचे रोजा जाने वाले रास्ते से एक शातिर अपराधी अभियुक्त मनोज पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 32 वर्ष निवासी हथौडा बुजुर्ग थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर को समय 13.32 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

मनोज पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 32 वर्ष निवासी हथौडा बुजुर्ग थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग:-

- मु०अ०सं० 83/2026 धारा 3/25 आयुध अधि०, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

- मु०अ०सं० 83/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
- मु०अ०सं० 43/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
- मु०अ०सं० 2020/20 धारा 272 भा०द०वि०, 60(2) आबकारी अधिनियम थाना रोजा,
- मु०अ०सं० 467/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
- मु०अ०सं० 531/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
- मु०अ०सं० 212/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
- मु०अ०सं० 689/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
- मु०अ०सं० 104/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
- मु०अ०सं० 312/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
- मु०अ०सं० 60/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:-

दिनांक 23.02.2026 को, समय 13.32 बजे, अटसलिया पुल के नीचे रोजा जाने वाले रास्ते से।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार, थाना रोजा शाहजहाँपुर
2. उ०नि श्री सागर गौतम
3. हे०का० 30 शिवपूजन
4. हे०का० 517 नरेश कुमार